अपीलीय अधिकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जगरूप सिह यादव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. किशन लाल कुमावत पुत्र स्व॰ श्री गोविन्द नारायण कुमावत जाति कुमावत, निवासी 85, हरिमार्ग, तारानगर, सिविल लाईन, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. यशवन्त कुमावत पुत्र श्री किशन लाल कुमावत
2. श्रीमती संतोष कुमावत पत्नी श्री यशवन्त कुमावत

जाति कुमावत, निवासी 85, हरिमार्ग, तारानगर, सिविल लाईन, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2019 न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 43/2017 ब उनवानी किशन लाल कुमावत बनाम यशवन्त कुमावत

उपस्थित:–

1. अपीलार्थी उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 7-10-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी–अपीलार्थी वयोवृद्व एवं वरिष्ठ नगरिक है तथा उपरोक्त उनवानी स्थान पर निवास करता है। विपक्षी अपीलार्थी का पुत्र है। अपीलार्थी की स्व अर्जित आय से खरीद शुदा मकान नम्बर 85, सिविल लाईन जयपुर मे स्थित है, जो कि 317 वर्गगज का है जिसमें सम्पूर्ण में निर्माण किया हुआ है। उक्त सम्पत्ति में प्रत्यर्थीगण के पास चार कमरे, हाल, किचन व लैटबाथ है जिसमें उसकी पत्नी संतोष कुमावत, एक लडका विशेष कुमावत जिसकी उम्र 10 वर्ष है। विपक्षी व उसकी पत्नी अपीलार्थी के साथ मारपीट व गाली गालौच करते है छः माह पहले व अभी दिनांक 26.02.2017 को अपीलार्थी के साथ मारपीट की तथा गला दबा दिया । प्रत्यर्थी संख्या 1 का ससुर यहाँ आकर अपीलार्थी को धमकाता है, कहता है कि मकान का हिस्सा करो नहीं तो आपको जान से मारेंगे। ऐसे पुत्र व पुत्र वधु को मकान में रखने का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को घर में रहने दिया तो वह अपने सुसराल वालों के साथ मिल कर अपीलार्थी को जान से मार सकते है। अतः प्रत्यर्थीगण को उक्त मकान से निष्कासित करने की कृपा करे। अपीलार्थी अपने छोटे पुत्र येनेन्द्र के पास रहता है दिनांक 13.08.2013 को अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु के बाद से लडाई झगडा करना शुरू कर दिया । अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रत्यर्थीगण को प्लाट संख्या बी–44,

जिसकी कीमत 50 लाख रूपया क्षेत्रफल 200 वर्गगज का दिया हुआ है। जिसकी रजिस्ट्री भी बेटे के नाम करवा दी है, वो भी वापिस दिलवाया जावे। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थी को आदेशित किया है कि वह अपीलार्थी के साथ गाली गलौच मारपीट व अभद्र व्यवहार नहीं करे । प्रत्यर्थी शिष्टाचार तरीके से सद्व्यवहार करें व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। अन्य चाहे गये अनुतोष नहीं दिलाये गये । अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो कर यह अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 को निरस्त कर अपील को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अभिकरण ने इस बात पर अपना कोई मत प्रकट नहीं किया कि प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के स्वामित्व के मकान में निवास करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं लेकिन अधीनस्थ अधिकरण उक्त कानूनी तथ्य को नजर अन्दाज कर ऐसा आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई सहायता नही मिली है। अतः अपीलार्थी को चाहा गया सम्पूर्ण अनुतोष दिलाया जावे। अपीलार्थी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त है, इसके अलावा अपीलार्थी की आय का कोई साधन नहीं है। जबकि प्रत्यर्थी कोई कार्य नहीं करता है और अपीलार्थी को भरण पोषण से भी वंचित रखता है। रसोई पर ताला लगा कर रखता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी व उसके छोटे बेटे को परेशान करती है। उपर वाले पोर्शन में छोटा बेटा येनेन्द्र कुमावत अपने परिवार सहित रहता है उसको भी प्रत्यर्थीगण परेशान करते है उसकी गाडी को नुकसान पहुंचाते है जिस वजह से अपीलार्थी का छोटा पुत्र अपनी गाडी को घर पर नहीं रख पाता है घर से बाहर पडौस में अन्य के घर में रखता है। अपीलार्थी का बडा पुत्र अमेरिका में रहता है और जब भी भारत आता है, वह बंटवाडा करने के लिए कहता है। तीन चार साल में एक माह के लिए आता है और छोटे पुत्र से कहता है कि बंटवारा कर ले मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दे और इस मकान के दो हिस्से कर लो 50 लाख रूपये येनेन्द्र कुमावत व 50 लाख रूपये यशवन्त कुमावत मुझे दे दे और मै अपना एक करोड रूपया ले कर अमेरिका चला जाउगा । पिता अभी जिन्दा है और एक करोड रूपया मांगता है। धारा 23 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि वरिष्ठ नागरिक ने अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण इस शर्त पर किया हो कि प्राप्त कर्ता वरिष्ठ नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। यदि प्राप्त कर्ता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करदे या उन्हें पूरा न कर पाये तो उक्त सम्पत्ति जो उपहार स्वरूप वरिष्ठ नागरिक द्वारा दी गई है अथवा हस्तान्तरित की गई है निष्प्रभावी मानी जावेगी। अपीलार्थी का पुत्र प्रत्यर्थी संख्या एक अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति पर बतौर लाईसेन्सी काबिज था, जिसका लाईसेन्स अपीलार्थी के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या एक व 2 अपीलार्थी को तंग व परेशान करते है एवं उस पर सम्पत्ति को हस्तान्तरण करने का दबाव बनाते है तथा अपीलार्थी की मूलभूत आवश्यकताओं का ख्याल नही रखते ऐसी स्थिति मे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अपीलार्थी के रिहायशी मकान से बेदखल करना न्यायोचित है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधीकरण के समक्ष अपने आवेदन में स्पष्ट अंकित किया था कि अपीलार्थी

द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्लाट संख्या बी–44, जो कि 200 वर्गगज का है पूर्व में उपहार स्वरूप दिया गया था। उक्त प्लाट की रजिस्ट्री निरस्त कर अपीलार्थी को वापिस दिलाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अपीलाधीन आदेश में इस अनुरोध पर भी कोई अनुतोष नहीं दिया गया ना ही इस बाबत कोई टिप्पणी की गई। जबकि धारा 23 के तहत यह अनुतोष दिलवाया जाना न्यायोचित है। नियम 2010 के नियम 20 के तहत वरिष्ठ नागरिक की जानमाल की सुरक्षा किये जाने का दायित्व भी है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा श्रीमती सारोज कुमावत, श्रीमती हेमन्त कुमावत, श्रीमती ईरा कुमावत एवं श्री येनेन्द्र कुमावत द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का भी अवलोकन नहीं किया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 इस हद तक संशोधित किया जा कर प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया जावे कि अपीलार्थी के साथ गाली गलौच, मारपीट व अभद्र व्यवहार नहीं करें । अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं करे। अपीलार्थी के मकान पर अवैद्य रूप से कब्जा नहीं करे। अवैद्य रूप से कब्जा किये गये मकान से प्रत्यर्थी को बेदखल किया जावे। प्रत्यर्थी के नाम हस्तान्तरित किये गये प्लाट को अपीलार्थी को वापिस दिलाया जाने के आदेश फरमावे।

प्रत्यर्थीगण ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि हम तीन भाई तीन बहिन है सभी का विवाह हो चुका है। मेरे पिताजी शराब का सेवन करने के आदी थे, लेकिन मेरी माताजी के देहान्त के बाद अत्यधिक शराब का सेवन करने लगे। पहले वह केवल रात्रि में शराब का सेवन करते थे, किन्तु माताजी के देहान्त के बाद दिन रात शराब का सेवन करने लगे। इस स्थिति से चिंतित हो कर मैने अपने परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों को इसके बारे मे बताया। साथ ही इन लागो से मेरे पिताजी को समझाने का अनुराधे किया। काफी समझाने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो मैने अमेरिका में रह रहे अपने बडे भाई योगेश कुमावत को मेरी पिता की स्थिति के बारे में बताया । इससे चिन्तित हो कर 4 दिसम्बर 2014 को विशेष रूप से अमेरिका से पिता जी से मिलने के लिए आये । पिताजी को स्थिति को देखते हुये मैने व मेरे भाईयों ने मिल कर हमारे पिताजी को मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति केन्द्र में ले जाने का निर्णय किया और आर के यादव मैमोरियल हास्पीटल में भर्ती कराया जहां पर करीब दो माह रहने के बाद घर वापस आ गये। लेकिन वापस आने के पश्चात भी कोई अच्छा परिणाम नजर नहीं आया । घर का माहोल खराब रहने लगा । इनके मुंह से हमेशा शराब की बदबू आती रहती है जिससे मेरी पत्नी को माईग्रेन होता रहता है व बच्चों पर बुरा असर पडता है। मै जब भी इनको शराब के सेवन से मना करता हूं तो मेरे से झगडने लग जाते है। यह सही है कि एक प्लाट संख्या 44 बी 200 वर्गगज का मेरे नाम से रजिस्ट्री करवाई है। लेकिन इन्होंने यह प्लाट उपहार के रूप में गिफ्ट डीड बना कर दिया है गिफ्ट डीड में किसी प्रकार की शर्त नही है। इसके लिए मैने अपनी ओर से कोई प्रयास न हीं किया और बिना किसी दबाव व शर्त के गिफ्ट डीड की है। अपीलार्थी सेवा निवृत्त राजकीय कर्मचारी है, जिन्हें 24,000/–रूपया प्रति माह पेन्शन राशि प्राप्त होती है। मैने व मेरी पत्नी ने कभी भी मेरे पिताजी से गाली गलोच व मारपीट करना तो दूर बल्कि कभी अभद्र भाषा का भी प्रयोग नहीं किया है। अतः अपील खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल गातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

प्रथम अपीलार्थी ने मकान नम्बर बी–44 बाबत प्रत्यर्थी संख्या एक के पक्ष में की गई गिफ्ट डीड को निरस्त करने एवं प्लाट नम्बर 58 हरिमार्ग जयपुर से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। का अनुतोष चाहा गया है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि यदि इस बिल के प्रावधान के प्रारम्भ होने के पश्चात वरिष्ठ नागरिक उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पत्ति इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि अन्तरणी मूल सुख, सुविधाए और मूल भौतिक आवश्यक्ताए प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरणी ऐसी सुख सुविधाओं और भौतिक आवश्यकताए प्रदान करने में असफल हो जाता है या मना कर देता है, तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या छल द्वारा आनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया माना जायेगा और वरिष्ठ नागरिक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा अन्तरण शून्य घोषित किया जावेगा। मामले में की गई गिफ्ट डीड में ऐसी किसी प्रकार की कोई शर्त का उल्लेख नहीं पाया गया है। जिससे सम्पत्ति का अन्तरण कपट या छल द्वारा अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया जाना साबित नहीं होता है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नही है। द्वितीय, अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवा निवृत्त कर्मचारी है जिसें पर्याप्त पेन्शन राशि मिलती है। इसलिए अतिरिक्त भरण पोषण की राशि दिलाये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तृतीय नियम 20 की पालना के लिए अधीनस्थ अधिकरण द्वारा परिवाद आंशिक स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को पाबन्द कर दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर सुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 7-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर